U.P. SMALL INDUSTRIES CORPORATIONLIMITED

Application / Registration Form for Enlistment of purchasers of Flatted Factory / Unit

Approved By

Managing Director
U.P.SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

Registered Office: 110, Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur-208012

Application Form for Registration of Flatted Factory Units at Foundry Nagar,Agra Uttar Pradesh for Dry Processing (White Category) Business

उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 द्वारा फाउन्ड्री नगर, आगरा में बनाई जा रही ड्राई प्रोसेसिंग प्रदूषण रहित(वाइट कैटेगरी) उद्योग लगाने हेतु फ्लैटेड फैक्ट्री/ यूनिट को क्रय करने हेतु आवेदन पत्र

Note- The applicant is required to read the terms and conditions carefully and to fill each columns and give specific information there by help the Corporation in speedy consideration of his application. Applications with incomplete information will unnecessarily delay their processing.

नोट :– आवेदक से अनुरोध है कि कृपया वर्णित शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ लें और प्रत्येक स्तम्भ को भरें एवं वांछित सूचना देकर आवेदन पर त्वरित विचार करने में निगम की सहायता करें। अपूर्ण सूचना वाले आवेदन पत्रों के निरस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

To,

The Managing Director,

U.P. Small Industries Corporation Ltd.

110,Industrial Estate, Fazalganj, KANPUR-208012 Dear

Sir/Ma'am

I am applying for a Flatted Factory Units at Foundry Nagar, Agra Uttar Pradesh of the Corporation for setting up my white category dry processing Business. I hereby agree/not agree for a different Flatted Factory Unit being allotted in the same building in place of my preferred choice. The details are given below :

मै निगम के फाउण्ड्री नगर, आगरा स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन हेतु आवेदन करता हूँ। यदि मुझे इस भूखंड में किसी अन्य फलैट का आवंटन होगा तो वह मुझे स्वीकार होगा/ स्वीकार नहीं होगा। विवरण नीचे दिया गया हैं:–

Particulars of the Floor and Total Area for preferred Flatted Factory Unit

Note- The applicant is required to read the terms and conditions carefully and to fill each columns and give specific information thereby help the Corporation in speedy consideration of his application. Applications with incomplete information will unnecessarily delay their processing

मैं निगम के फाउन्ड्रीनगर, आगरा स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन हेतु आवेदन करता हूं। यदि मुझे इस भूखंड में किसी अन्य फ़्लैट का आंवटन होगा तो वह मुझे स्वीकार होगा/स्वीकार नहीं होगा। विवरण नीचे दिया गया है:–

Particulars of the Floor and Total Area for preferred Flatted Factory Unit

फ्लैट का विवरण

SERIAL NO/क्रम संख्या	1.	2.	3.
Floor/फ्लौर संख्या			
Area/एरिया			

1. Please select applicant in whose name the Flatted Factory Unit is required to be allotted. (Please tick)

A. If an individual ☐
B. If a Partnership Firm ☐
C. If the proprietor/ partner/ promoter belongs to scheduled caste/ scheduled tribe ☐
D. If a Private Limited Company ☐
E. If a Public Limited Company ☐
F. If a Govt. Company or a Company in the Co-operative Sector ☐

2. Full name and address of the person signing the application (in case of individual)

आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा :

नाम व पता

(a) Name/नाम :---

(b) Father'sName/पिता का नाम

(c) Age/आयु : ---

(d) PresentAddress/वर्तमान पता : ---

(e) Status/Relationship/ प्रस्थिति/आवेदक से सम्बन्ध :---

(f) TelephoneNo./MobileNo./ दूरभाष नं./मोबाइल न : ---

(g) E-MailAddress/ई.मेलपता : ---

3. Full name and address of the person signing the application (on behalf of Partnership Firm, Private Limited Company, Public Limited Company, Govt. Company or a Company in the Co-operative Sector Limited Company) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता (यदि आवेदक एक पार्टनरशिप फर्म, प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,, सरकारी कम्पनी अथवा को–आपरेटिव सेक्टर कम्पनी है)

Particulars	(1)	(2)	(3)	(4)
Name Of Proprietor/ Partner/Director/ Authorized Signatory				
Address/Registered Office				
RegisteredContact				
Emailid				
DIN/DPIN				

4. Type of products proposed to be manufactured

   किस प्रकार के उत्पादों से सम्बन्धित उद्योग को स्थापित करना प्रस्तावित है
   : ---

   Estimated cost of the project : ------------------------------
   परियोजना की अनुमानित लागत

   (a) Estimated employment generation : ------------------------------

   अनुमानित रोजगार सृजन

   (b) No. of persons/employees working in : ------------------------------

   Flatted Factory Units

प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट में कितने लोग कार्य करेंगे :

(c) No. of persons/employees working in Flatted Factory Units

प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट में कितने लोग कार्य करेंगे

(d) Machinery and equipment with its tentative cost provided : : ---------------------

मशीनें तथा उपकरण और उनकी अनुमानित लागत

5. Expected turnover of 12 months from manufacturing business after allotment of Flatted Factory/Unit

(e) एक वर्ष का अनुमानित टर्नओवर फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन के बाद: ---------------------

6. Power requirement (in KW)

विद्युत शक्ति की आवश्यकता (किलोवाट) :

7. Telephone requirement

टेलीफोन की आवश्यकता : -------------------------------------

First year/

प्रथम वर्ष

Ultimate requirement

कुल आवश्यकता

8. Is the applicant under priority category? please specify clearly. ----------------------------

9. List of places other than the desired Flatted Factory Units, where the applicant's manufacturing business is already being operated if yes then please provide

क्या आवेदक का इच्छुक फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के अलावा किसी और स्थान पर उद्योग है (अगर हाँ तो विवरण प्रदान करें)

S.No/क्रम संख्या	Name of Business/ व्यापार का नाम	Products/ उत्पाद	Yearof Establishment/स्थापना का वर्ष
1			
2			

10. Amount and other details of the Bank Draft enclosed towards non-adjustable, non- refundable Application Free and Earnest Money and cost of form as given in the annexed Table.

संलग्न तालिका के अनुसार न समायोजित किए जाने वाले आवेदन शुल्क फार्म की कीमत सहित धरोहर राशि के संलग्न बैंक ड्राफ्ट की कुल धनराशि, उसकी संख्या, तिथि और अन्य विवरण।

Amount/धनराशि ---

Bank Draft No./बैंक ड्राफ्ट संख्या---

Date/दिनांक ---

Name of Bank/बैंक का नाम ---

Payable at/कहा भुगतान मिलेगा ---

The information given in the above application is true to the best of my knowledge and belief and the general conditions for allotment of Flatted Factory/Unit and grant of lease indicated, in this application form for allotment of Flatted Factory /Unit in Industrial Area have been read carefully and understood by me and are fully acceptable to me. I further agree to abide by any and all changes made in the general conditions by the Corporation from time to time for reference please read the terms & conditions of corporation mentioned in book of rules and regulations provided with this registration form.

ऊपर आवेदन में दी गई सूचना मेरे ज्ञान और वि"वास के अनुसार पूर्णतयः सत्य है। मैंने इस आवेदन पत्र में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन सम्बन्धी सामान्य शर्तों को सावधानी से पा है जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है। साथ ही इन सामान्य शर्तों में निगम द्वारा समय पर किए गए अन्य सभी परिवर्तन मुझे स्वीकार हैं जिनका मैं पालन करूगा संदर्भ के लिए नियम और विनयम सम्बन्धित किताब, इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिसमें निगम द्वारा सामान्य शर्तें उल्लिखित हैं।

Date/दिनांक

Signature of the applicant
आवेदक के हस्ताक्षर

Acknowledgement Receipt
(For official purpose only)

Application Serial Number - ------------------------- Date of Receipt - ------------------------- Fees Paid - -------------------------

Uttar Pradesh Small Industries Corporation Limited
110, Industrial Estate,
Fazalganj, Kanpur Nagar- 208012

Dear Applicant, We acknowledge the receipt of your application from for allotment of flatted factory. We shall review your application after the announced deadline. In the event of acceptance of your application, we will notify you accordingly.
For any other information or explanation you may contact the following:-

Name ------------------------------

Contact - - ------------------------------

Thankyou for your interest in the project.

Sincerely,

For Uttar Pradesh Small Industries Corporation Limited

(Auth. Signatory)

LIST OF DOCUMENTS TO BEEN CLOSED

Sl. No.	Listof Documents	Tickas applicable
	Individual/ProprietorshipFirm	
1.	Self-Certified Copy of PAN Card of Proprietor	
2.	Self-Certified Copy of Aadhar Card of Proprietor/Partners/Directors	
3.	Self-Certified Copy of G.S.T Registration	
4.	Self-Certified Copy of MSME Certificate	
	PartnershipFirm/LimitedLiabilityPartnership	
1.	Copy of PAN Card of Partnership Firm/LLP certified by atleast 2Partners	
2.	Self-certified copy of PAN Card of Partnership Firm/LLP Partners	
3.	Copy of G.S.T Registration certified by atleast2Partners	
4.	CopyofMSME Certificate certified by at least 2 Partners	
	PrivateLtd.Co./PublicLtd.Co./Govt.Co.	
1.	Copy of PAN Card of Company certified by atleast 2 Directors	
2.	Self-certified copy of PAN Card of Directors	
3.	Certificate of Incorporation certified by at least 2 Directors	
4.	Copy of G.S.T Registration certified by at least 2 Directors	
5.	Copy of MSME Certificate certified by atleast 2 Directors	

1. योजना का विवरण

1.1 उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर, (निगम) स्वामित्व वाले प्लाट संख्या डी –10 से डी–13 एवं डी–59 से डी–61 फाउन्ड्री नगर, आगरा में फ्लैटेड फैक्ट्री एवं यूनिट का आवंटन।

2. पंजीकरण हेतु पात्रताः

2.1 आवेदक कोई या कोई भी विधिक व्यक्ति (जैसे एल0एल0पी0, पार्ट्नशिप, प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी इत्यादि हो सकता हैं)।

2.2 आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2.3 आवेदक भारत का निवासी तथा साधारण निवासी या आवेदक को संविदा करने हेतु भारतीय संविदा अधिनियम 1827 के अनुसार सक्षम होना चाहिए।

2.4 फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट सिर्फ प्रदूषण रहित White category उद्योग लगाने हेतु ही आवंटित की जायेगी।

2.5 आवेदक निगम के किसी नियमित/अनियमित कर्मचारी /अधिकारी एवं उनके सम्बन्धिओं से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए तथा आवेदक का निगम के साथ कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बंध भी नहीं होना चाहिए।

2.6 आवेदक किसी भी दशा में निगम में सेवारत नहीं होना चाहिए।

2.7 आवेदक का उद्योग आधार पंजीकरण भी होना चाहिए।

नोट : यदि आवेदक 2.1 से 2.7 तक के नियमो ं का उल्लंघन करता है व तथ्यो ं को छिपाकर छलपूर्वक आवंटन प्राप्त करता है तो ऐसे आवंटन को स्वतः निरस्त माना जाएगा और आवंटी द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं इसके लिए आवश्यक क़ानूनी कार्यवाही जो निगम उचित समझे की जा सकती है।

3. आवेदन के चरणः

3.1 सर्व प्रथम आवेदक को इस विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को भरना होगा व

उससे सम्बन्धित शुल्क अदा करना होगा।

3.2 आवेदन पत्र को भरने व उसका शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदक को आवंटन होने के उपरान्त संलग्न तालिका में दिये वर्णित अग्रिम किश्तों को भुगतान करना होगा (जी0एस0टी0 प्रचलित दरों के अनुसार अतिरिक्त देय होगा) यह तालिका (CONSTRUCTION LINKED PLAN) इस विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न है।

3.3 आवेदक को आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट और उससे सम्बन्धित अनुबंध को अपने पक्ष में निगम द्वारा अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराना होगा।

3.4 आवेदक को अपनी आवंटित फैक्ट्री/यूनिट का कब्जा लेने से पहले समस्त भुगतान संलग्न तालिका में दियें विवरणों के अनुसार किश्तों को जमा कर निगम के माध्यम से अपने पक्ष में पट्टाविलेख निष्पादित कराना होगा जो कि निगम के माध्यम से यूपीसीडा, आगरा द्वारा कराया जायेगा। आवेदक द्वारा समय से भुगतान न करने पर यूनिट के कुल मूल्य का 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

4. लीजः

4.1 आवेदक के पक्ष में पट्टा/लीज (60+30) वर्ष की अवधि के लिये दिये जाएगें जिसका पट्टाविलेख निगम के माध्यम से यूपीसीडा, आगरा द्वारा कराया जायेगा। उक्त हेतु यूपीसीडा आगरा के लीज हस्तान्तरण के नियम आवेदक को मान्य होंगे।

4.2 लीज शुल्कः प्रति वर्ग फिट निर्धारित है (विवरण के लिये भुगतान पुस्तिका के साथ संलग्न तालिका का संदर्भ ग्रहण करें)

5. **आरक्षंण/आवंटन मे ं प्राथमिकता की श्रेणी शासनादेश संख्या के नियमानुसार होगी।**

5.1 एक मुश्त भुगतान आवंटन तिथि से एक माह में करने के इच्छुक आवेदकों को निगम द्वारा नियमानुसार 5 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

5.2 सहायक इकाइयॉ/रिपेयर शॉप

5.3 फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट पर एक से अधिक आवेदक होने पर लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जायेगा जो की सभी आवेदकों को मान्य होगा।

5.4 शासनादेश के अनुसार एवं आवंटन में प्राथमिकता की श्रेणी के आधार पर आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

6. **पंजीकरण शुल्क रू5000.00 और जी0एस0टी0 18 प्रतिशत अतिरिक्त ।**

6.1 निगम से सेवाएं प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक आवंटी को निगम से आवेदन पत्र लेकर उसको सुचारू रूपसे भरकर मात्र रू 5000.00 और जी0एस0टी0 18 प्रतिशत अतिरिक्त जमा करानी होगी।

6.2 आवेदकों की पंजीकरण धनराशि वापसी योग्य नहीं होगी।

6.3 सफल आवेदकों को उक्त शुल्क वापस नही किया जायेगा स्पष्टः कि यह निगम में पंजीकरण का शुल्क है, जो अन्य किसी मद में समायोजित नहीं किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क में आवश्यक जी0एस0टी0 अतिरिक्त लिया जायेगा।

6.4 असफल आवेदकों की अग्रिम धनराशि उनसे प्राप्ति रसीद लेकर बिना किसी ब्याज के साथ वापस की जाएगी तथा पंजीकरण धनराशि वापस नहीं की जाएगी।

6.5 आवंटन हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि की वापसीः (कृपया विवरण के लिए भुगतान विवरण पुस्तिका के साथ सलग्न तालिका का संदर्भ ग्रहण करें)

7. **फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का कब्जाः**

7.1 उन्हीं आवेदक को फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का कब्जा दिया जायेगा जिनको उ0प्र0 लघु उघोग निगम लि0 कानपुर व यूपीसीडा, आगरा की सारी नियम व शर्ते मान्य होंगी।

7.2 फ्लैट/शॉप का पट्टाविलेख निगम के माध्यम से यूपीसीडा, आगरा द्धारा कराया जायेगा तथा इस हेतु आवंटन के सम्बन्ध में यूपीसीडा, आगरा के समस्त बाईलाज आवंटी को मान्य करना होगा।

7.3 कब्जे से पूर्व सम्पूर्ण धनराशि मे लीज रेन्ट एवं अन्य देयकों को जमा करा कर पंजीकृत कराना आवश्यक होगा ।

7.4 पट्टाविलेख/अनुबन्ध इत्यादि के पंजीकरण के समस्त व्यय आवंटी को मान्य करना होगा।

7.5 आवेदनकर्ता को फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवंटन के 6 माह के अन्दर अपने आवंटित यूनिट का पट्टाभिलेख रजिस्टर्ड कराकर कब्जा प्राप्त करना होगा अन्यथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित यूनिट निरस्त कर 15 प्रतिशत की कटौती कर बकाया धनराशि आवेदक को वापस कर देगा और जिसके सम्बन्ध में आवेदक को कोई आपत्ति न होगी।

8. **आवेदनकर्ता को फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का आवेदक द्वारा हस्तान्तरण**

8.1 यदि आवेदक अपनी आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन के बाद, उसका हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के हक में निष्पादित करता है तो उस दशा में आवेदक को निगम से पूर्व में अनापत्ति पत्र प्राप्त करना होगा।

8.2 यदि आवेदक के हक में आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का पट्टाविलेख (60+30) वर्ष के लिये किया जा रहा है और अगर आवेदक इससे पूर्व उसका हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति (जिसके हक में आवेदक हस्तान्तरण कर रहा है) का आवंटन मान्य होगा ।

8.3 यदि कोई आवेदक हस्तान्तरण से पूर्व अपनी आवंटित यूनिट निरस्त कराना चाहता है तो हस्तान्तरण के दिन तक जो भी धनराशि आवेदक ने जमा कर रखी होगी उसमें से 15 प्रतिशत की कटौती कर, निगम बकाया धनराशि आवेदक को सुचारू रूप से वापस कर देगा।

8.4 यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में आवेदक ने आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का हस्तान्तरण किया है उस व्यक्ति पर भी निगम व यूपीसीडा, आगरा की समस्त शर्तें प्रभावी होंगी ।

8.5 किसी अन्य के पक्ष में लीज हस्तान्तरण से पूर्व आवंटी को निगम से अनापत्ति पत्र एवं उस समय के जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट्स एवं मूल आंवटन के समय देय प्रीमियम के अन्तर पर 15 प्रतिशत लाभांश प्रचलित दरों के अनुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त निगम में जमा कराना आवश्यक होगा।

9. **ऋण सुविधा एवं फ्लैट को बंधक रखने का प्राविधान :**

9.1 आवंटी अपनी इच्छानुसार किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने हेतु निगम किसी प्रकार की गारंटी नहीं प्रदान करेगा ।

9.2 आवंटी अपनी फ्लैट को बंधक रखने का अधिकार होगा किन्तु इसके लिए उ0प्र0 लघु उद्योग निगम से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना होगा।

9.3 आवंटी यदि वित्तीय सर्स्था के ऋण की चुकता अदायगी नहीं कर पाता है और उस दशा में यदि वह वित्तीय संस्था आवंटित जगह का कब्जा प्राप्त कर लेती है या उसका हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर देती है तो वित्तीय संस्था व उस व्यक्ति को निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और उन पर भी निगम से यूपीसीडा, आगरा के सभी नियम प्रभावी होगें।

9.4 आवंटी के द्वारा किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदान ऋण चुकता न हो पाने की दशा में निगम की किसी भी प्रकार की कोई में ज़िम्मेदारी नहीं होगी । ऋण आदायगी की समस्त ज़िम्मेदारी आवंटी या उसके गारंटर की होगी ।

10. **कर आदि की देयता :**

10.1 आवंटी को फ्लैट/यूनिट के सम्बन्ध मे शासकीय करों की नियमानुसर समय≤ पर अदायगी करनी होगी।

11. **वाद विवाद की स्थिति :**

11.1 आवंटन एवं अन्य सम्बन्धित मामले पर समस्त अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में विधिक क्षेत्र कानपुर नगर होगा।

11.2 यदि आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि के 6 माह के अन्दर आंवटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का कब्जा नहीं प्राप्त किया जाता तथा अपना उद्योग स्थापित नही करता है तो आवंटन निरस्त हो जायेगा और जमा कुल धनराशि निगम जब्त कर लेगा, जब तक कि निगम के प्रबन्ध निदेशक, (आवंटी के नियंत्रण के बाहर की असाधारण परिस्थितियों के आधार पर) निर्धारित अवधि में

समयावृद्वि न प्रदान कर दें बशर्ते समयावृद्वि का अनुरोध आवंटी द्वारा निर्धारित समयाधि समाप्त होने से पूर्व निगम को प्राप्त गया हो।

12. अन्य नियम :

12.1 आवंटी को अपनी इकाई के उत्प्रवाहों का विर्सजन निगम द्वारा निर्धरित/चयनित स्थल पर ही करना होगा, तथा यदि आवंटी द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर में गदंगी फैलाई जाती है तो उसके विरूद्व निगम द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

12.2 यदि आवंटी द्वारा नॉन– पल्यूटेड white category उद्योग के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य किया जाता है तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा व आवंटी किसी भी प्रकार की धनराशि की वापसी का हकदार नहीं होगा।

12.3 निगम का यह प्रयास होगा कि जिस तल पर फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट हेतु आवेदन किया जा रहा है उसे उसी तल पर आवंटित किया जाये किन्तु, फ्लैट सीमित होने के कारण आवंटन से पूर्व आवेदक को अन्य तल पर फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट आफॅर दिया जा सकता है तो उस स्थिति में आवेदक को निगम की उपरोक्त शर्त का पालन करना होगा।

12.4 अन्य दरों के अतिरिक्त आवेदक को निगम द्वारा मांगे गये रख–रखाव शुल्क का भी भुगतान नियमानुसार समय से करना होगा, जिसमें प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी (भुगतान संलग्न तालिका/CONSTRUCTION LINKED PLAN देखें)

- प्रथम 4 वर्षों हेतु रू ....प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
- 5 वें वर्ष से 8 वें वर्ष हेतु रू..........................प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
- अगले 4 वर्षों हेतु रू..........................प्रति वर्ग मी0 पगति वर्ष (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
- रख रखाव शुल्क समय से न जमा करने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

नोट : रख रखाव शुल्क निमार्ण कार्य ख़त्म होने के उपरान्त निगम द्वारा अवगत कराया जाएगा।

12.5 आवेदक ने अपनी स्वेच्छा व जॉच– पड़ताल करने के बाद व भारत में लागू सभी कानूनों को संज्ञान में रखकर ही निगम नॉन– पल्यूटेड white category उद्योग लगाने हेतु फ्लैटेड फैक्ट्री एवं यूनिट के आवंटन के लिए आवेदन किया है और परियोजना के पूर्ण होने पर नोटिस द्वारा आवेदक को सुचारू रूप से फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का आवंटन किया जाएगा और इस नियमावली एवं यूपीसीडा, आगरा के नियम को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के पक्ष में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा एक किरायेदारी पट्टा विलेख (Lease Deed) पत्र निष्पादित कराया जायेगा।

12.6 आवेदक ने आवेदन से पूर्व सारे दस्तावेजों व मौका मुआयना करके ही व यूपीसीडा, आगरा की समस्त शर्तो (जो फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट पर लागू होती है) उनकी जानकारी लेकर ही आवेदन किया है और जिसके सम्बन्ध में भविष्य में आवेदक के द्वारा कोई क्लेम व दावा स्वत : निरस्त माना जायेगा।

12.7 आवेदक को आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट को निरीक्षण करने की अनुमति होगी व उसको आवंटित जगह के डिजाइनों, मानचित्र से भी भली भॉति अवगत कराया जायेगा परन्तु इन डिजाइनों, मानचित्र में अगर कोई परिवर्तन निगम द्वारा, शासनादेश व यूपीसीडा, आगरा या किसी अन्य महकमें द्वारा किया जाता है,तो वह परिवर्तन समस्त आवेदनकर्ताओं को मान्य होगा।

12.8 आवेदक को फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के निर्माण के समय पर उ0प्र0 लघु निगम लि0 कानपुर को देय आवंटन प्रीमियम, किस्त व प्रभार्य जी0एस0टी0 की चुकता अदायगी करनी होगी व आवेदक को अन्य कर जैसे कि श्रम उपकर, रख–रखाव शुल्क व किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा लगाये जाने वाले कर, भी आवेदक को स्वीकार होंगे और जिनकी चुकता अदायगी आवेदक सीधे निगम को भी कर सकता है।

12.9 यदि आवंटी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/शॉप की लीज उसके उत्तराधिकारी को निर्धारित अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित की जा सकती है।

12.10 आावंटी का अधिकार होगा कि वह अपनी आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/युनिट के निमार्ण के

समय उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को भली–भॉति जॉच परख ले व जगह का सुचारू रूप से निरीक्षण कर लेवे क्योंकि निर्माण के बाद आवेदक का कोई भी क्लेम व दावा पूर्णत : निरस्त माना जायेगा।

12.11 आवंटी को भुगतान सलंग्र तालिका (CONSTRUCTION LINKED PLAN) के अनुसार ही अपनी आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/युनिट का भुगतान करना होगा पर किसी कारण वश अगर निर्माण इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे कि सीमेन्ट, सरिया, मौरंग, गिट्टी आदि में 10 प्रतिशत से अधिकवृद्धि हो जाती है तो ऐसी दशा में उस बढी हुई लागत का व्यय आवेदक वहन करेगा।

12.12 यह कि निर्माण कार्य के दौरान यदि कोई आगजनी, भूकम्प,बाढ, कोरोना, लॉकडाउन, या कोई अन्यदैवीय आपदा/वैश्विक महामारी या सरकारी आदेश व न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध लागू होने के कारण निर्माण कार्य अथवा कब्जा देने में विलम्ब होता है तो उसके लिए आवेदक को कोई भी आपत्ति ना होगी।

12.13 यह है कि यदि आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट को सिर्फ प्रदूषण रहित उद्योग लगाने के लिए ही उपयोग किया जाऐंगा, उसमें किसी अन्य प्रकार की आवासीय व अन्य गतिविधियां अमान्य होंगी।

12.14 यह कि भूतल पर स्थित ब्लॉक सी के यूनिट नम्बर जी–1,2,3,4,9,10,11,12 तथा ब्लॉक डी के यूनिट नम्बर जी–1,2,3,4,5,6,12ए,14,15,16,17,18,19 सपोर्ट फैसिलिटी (प्रोडक्ट डिस्प्ले) के लिए भी मान्य है।

12.15 यह कि तृतीय तल सर्विस सेक्टर/इंडस्ट्री के लिए भी मान्य है।

12.16 यह कि पट्टा विलेख पंजीकृत कराने के बाद यूनिट धारक अपनी यूनिट को विभाग की लिखित सहमति से किसी अन्य को किराये पर दे सकता हैं।

नोट :– निगम की यह योजना उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रहित **white category** उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों का प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रयास है जिसकी सफलता उद्यमियों पर निर्भर है। ऊपर वर्णित नियम व शर्तें जानकारी एवं पालन करने के लिए है जो सम्पूर्ण नहीं है , जिनमें सूचना दियें बिना किसी भी समय परिवर्तन किये जा सकते है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

FFC Foundry Nagar, Agra-Construction Link Plan

Sr.No.	Stages	Payment
1	Amount with Application	Rs 1,00,000/-
2	At the time of Allotment	20% of the total cost
3	At the time of Agreement	15% of the total cost
4	At the time of Completion of Foundation	10% of the total cost
5	Work Upto Plinth Level	10% of the total cost
6	Casting of 1st floor Slab	10% of the total cost
7	Casting of 2nd floor Slab	10% of the total cost
8	Casting of 3rd floor Slab	10% of the total cost
9	Finishing works	10% of the total cost
10	Hand over or Possession	Remaining Amount

Above Payment structure is without GST

GST will be payable as per Govt. norms.